राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4290/2025

श्रीमती राजबीरी देवी

–अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.09.2025
सुनवाई की दिनांक : 03.10.2025
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री देवेन्द्र कुमार भारद्वाज, अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को दिनांक 20.9.1995 व्याख्याता (ग्रेड I) के पद पर नियुक्त किया गया था और उसे जीजीएचएसएस रावतभाटा (चित्तौड़गढ़) में तैनात किया गया था और उसके बाद उसे 24.7.2015 को प्रधानाचार्य और समकक्ष के पद पर पदोन्नत किया गया और उसे राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भदेसर (चित्तौड़गढ़) के कार्यालय में तैनात किया गया और उसके बाद उसे स्थानांतरित कर दिया गया। वर्तमान में दिनांक 8.10.2021 से मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक भैंसरोडगढ़, जिला चित्तौड़गढ़ के कार्यालय में ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के पद पर पूर्ण संतुष्टि एवं लगन के साथ कार्यरत हैं। (अनुलग्नक–6व 10) प्रतिवादी संख्या 2 ने अपीलार्थी को उसके सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष 11 माह पूर्व आरएसआर के प्रावधान के विरुद्ध, बिना किसी वैध एवं न्यायोचित कारण के, उसके मुख्यालय निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को एपीओ कर दिया तथा बाद में प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने आदेश दिनांक 4.8.2025 (अनुलग्नक–3) के तहत अपीलार्थी को राजकीय माध्यमिक विद्यालय निठाउवा ब्लॉक साबला जिला डूंगरपुर में पदस्थापित कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने आदेश दिनांक 4.8.2025 (अनुलग्नक–4) के तहत अपीलार्थी को उसके वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त कर दिया तथा उसी दिन प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने आदेश दिनांक 4.8.2025 (अनुलग्नक–5) के तहत अपीलार्थी को भी कार्यमुक्त कर दिया। अपीलार्थी को

निदेशालय बीकानेर में कार्यभार ग्रहण किए बिना ही निदेशालय बीकानेर से वापस भेज दिया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 3834/2025 दायर की और अधिकरण ने दिनांक 21.8.2025 के आदेश द्वारा उक्त अपील का निपटारा इस निर्देश के साथ किया कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा और सक्षम प्राधिकारी 2 सप्ताह की अवधि के भीतर स्पीकिंग ऑर्डर द्वारा आवेदक के अभ्यावेदन पर निर्णय लेगा। अभ्यावेदन पर निर्णय होने तक, दिनांक 3.8.2025 के आक्षेपित एपीओ आदेश, दिनांक 4.8.2025 के पोस्टिंग आदेश, दिनांक 4.8.2025 के रिलीविंग आदेशों का प्रभाव और प्रवर्तन स्थगित रहेगा। (अनुलग्नक–7) अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 4.9.2025 को एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। (अनुलग्नक–8) प्रत्यर्थी संख्या 2 ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ–साथ आरएसआर के नियम 25 ए के प्रावधान और पंचायत समिति भैंसरोडगढ़ में विभिन्न स्कूलों में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर उचित विचार किए बिना अपीलार्थी के अभ्यावेदन को दिनांक 12.9.2025 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक 1) द्वारा खारिज कर दिया और एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 12175/2025 गोपाल लाल कुलमी बनाम राज्य और भगवानदास मित्तल एवं अन्य राज के मामले में माननीय द्वारा पारित दिनांक 3.7.2025 के आदेश की गलत व्याख्या की, जो डीएलसी बनाम राज्य 2007(2)276 में रिपोर्ट किया गया था।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलार्थी के संबंध में जारी आलौच्य आदेश दिनांक 12.9.2025 (अनुलग्नक–1), एपीओ दिनांक 3.8.2025 (अनुलग्नक–2) और दिनांक 4.8.2025 (अनुलग्नक–3) के पोस्टिंग आदेश और दिनांक 4.8.2025 (अनुलग्नक–4 और 5) के रिलीविंग आदेश को अपास्त किया जाए और प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जाए कि वे अपीलार्थी को ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी–I मुख्य ब्लॉक शिक्षा भैंसरोडगढ़, जिला अधिकारी ब्लॉक चित्तौड़गढ़ के कार्यालय में नियमित वेतन और अन्य लाभों के साथ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त करने की अनुमति दी जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं मनन किया।

प्रस्तुत अपील में आलौच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का आदेश दिनांक 04.08.2025 द्वारा नवीन पदस्थापन होने से एपीओ आदेश दिनांक 03.08.2025 जब अस्तित्व में नहीं रह गया है। एवं अभ्यावेदन निस्तारण आदेश दिनांक 12.09.2025 की पालना में अपीलार्थी को पुनः 12.09.2025 द्वारा (अनुलग्नक–1) कार्यमुक्त किए जाने से पुराने कार्यमुक्त आदेश दिनांक 04.08.2025 भी अब अस्तित्व में नहीं रह गये है। अधिकरण द्वारा अपील संख्या 3834/2025 राजबीरी देवी बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 21.08.2025 की अनुपालना में प्रत्यर्थी विभाग ने विस्तृत आदेश

दिनांक 12.09.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन को निस्तारित किया है। हम इसमें कोई दुर्भावना या नियम विरूद्धता नहीं पाते है। आलौच्य स्थानान्तरण आदेश प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर किया गया है। अपीलार्थी राज्य सेवा का अधिकारी है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता एवं जनहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। प्रशासनिक निर्णय/आदेश में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जब तक की निर्णय विधि विरूद्ध तरीके से पारित नहीं किया गया हो। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं कार्यग्रहण काल देय होगा।

अतः अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र सारहीन एवं बलहीन होने से इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष